न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 134/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00143)

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार कमेटी जरिये सहायक कलेक्टर लालसोट जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर, दौसा निर्णय दिनांक 31.05.2000 एवं आदेश आवंटन सलाहकार कमेटी जरिये सहायक कलेक्टर लालसोट दिनांक 11.06.1999

उपस्थित :–

1. श्री वरूण नागर, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –28.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 31.05.2000 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति सहायक कलक्टर लालसोट द्वारा रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा को ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा की राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1782/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से 0.02 बिस्वा भूमि नियमन कर मूल पत्रावली किस्म परिवर्तन करने हेतु जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित की गयी। जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण नियमन नहीं किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2000 पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 31.05.2000 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2000 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। न्यायालय का यह सर्व मान्य सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जावे उसे सुनवाई का एक समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण में दिनांक 31.05.2000 को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया एवं अपीलांट को बिना सुनवाई का नोटिस दिये ही उपरोक्त आवंटन दिनांक 11.06.1999 को निरस्त करने में कानून के सर्वमान्य सिद्धान्त की उपेक्षा की है। उपरोक्त आवंटन से किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं थी ना ही कोई उजराज किसी व्यक्ति द्वारा ही पेश किये गये लेकिन जिला कलेक्टर दौसा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। खसरा नम्बर 1764 में होकर सड़क निकाली जा चुकी है। जिसके लिए प्रार्थी की कोई मुआवजा या उसके बदले कोई भूमि नहीं दी गई थी। खसरा नम्बर 1782/1 भूमि किसी रास्ता के उपयोग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

व उपभोग की भूमि नहीं है। और ना ही मौके पर कोई रास्ता है पूर्व में एक पक्की सड़क अपीलांट की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1764 में होकर निकाली जा चुकी है जिसके लिए प्रार्थी को कोई मुआवजा या उसके बदले कोई भूमि नहीं दी गई थी। खसरा नम्बर 1764 में होकर जो सड़क निकाली गई थी। जो एक घुमाव को बचाने के लिए ही अपीलांट की कृषि भूमि से निकाली गई थी इसके बाद खसरा नम्बर 1782 पर लम्बे समय से अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। वह आवंटन नियमन योग्य था। आवंटन सलाहकार कमेटी ने सभी नियमों की मध्य नजर रखते हुए खसरा नम्बर 1782/1 को अपीलांट को आवंटन किया गया था एवं उपरोक्त कृषि एक उपजाउ भूमि है इस सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी इत्यादि का अंकन होता रहा है लेकिन योग्य अधीनस्थ जिला कलेक्टर दौसा ने चूंकि अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया इसलिए अपीलांट उक्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सका एवं अपीलांट को जिला कलेक्टर दौसा के न्यायालय से न्याय से वंचित होना पडा इसलिए जिला कलेक्टर दौसा का आदेश निरस्तनीय है।

पूर्व में भी अपीलांट को इस आधार पर 1 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.3(1320) राज्य/ग्रुप–4/66 दिनांक 13.1.83 के अनुसार किसी गैर मुमकिन उपजाउ व बाडे की भूमि पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने इन सब तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए नियमन को खारिज करने में कानूनी गलती की है। यदि कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकित है तो केवल मात्र उस हिस्से का आवंटन नहीं किया जा सकता जो रास्ते के उपयोग उपभोग में आ रहा है। क्योंकि खसरा नम्बर 1782/1 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं 1983 के परिपत्र में राज्य सरकार के आदेशानुसार उसकी किस्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने कानून के सर्वमान्य सिद्धान्त की उपेक्षा कर आवंटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। उपरोक्त आवंटन जमीन के बदले में जमीन देने पर हुआ है एवं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत डिडवाना को भी कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन जिला कलक्टर दौसा ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर आवंटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। आवंटन सलाहकार कमेटी के आदेश दिनांक 11.06.1999 की पालना में नामान्तरकरण भी अपीलांट के पक्ष में खोला जा चुका है। कानूनन जब अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं हो सकता था लेकिन जिला कलक्टर दौसा ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर आवंटन निरस्त करने में कानूनी गलती की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया इसलिए अपीलांट दस्तावेजात को जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश नहीं कर सका। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का आवंटन आदेश दिनांक 31.05.2000 निरस्त फरमाने की कृपा करें एवं आवंटन सलाहकार कमेटी का नियमन आदेश जो दिनांक 11.06.1999 को अपीलांट के पक्ष में किया गया है उसे बहाल करने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1782/1 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से 0.02 बिस्वा भूमि नियमन कर मूल पत्रावली किस्म परिवर्तन करने हेतु जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित की गयी। जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण नियमन नहीं किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2000 पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2000 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.06.1999 को आराजी ख.नं. 1782/1 में गैर मुमकिन रास्ता भूमि में से 2 बिस्वा भूमि को नियमन करने की सिफारिश किये जाने पर नियमन किया गया है। इसके पश्चात आंवटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा पत्रांक 139 दिनांक 02.09.1999 द्वारा मूल पत्रावली किस्म परिवर्तन हेतु जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित की गयी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने प्रकरण किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण नियमन नहीं किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2000 पारित किया गया है। बिना आवंटन आदेश तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तन कराये बिना ही गैर मुमकिन रास्ते की राजकीय भूमि का आवंटन वैध नहीं माना जा सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2000 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2000 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर